न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 9/2016 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती पेमली बाई पुत्री रूपाजी पत्नी हरजी, निवासी रामा का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मथरी पत्नी देवा रावत, निवासी मासिंगपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती चुन्नी पुत्री देवा जी पत्नी नारायण जी रावत, निवासी रामा का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती नवा पुत्री देवा जी पत्नी नारायण जी रावत, निवासी रामा का खेड़ा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती कडूली पुत्री देवा जी पत्नी लक्ष्मीनारायण जी रावत, निवासी पलतावडा कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
5. भीमा पिता वेणा जी रावत, निवासी पलतावडा कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
6. रतना पिता वेणा जी रावत, निवासी पलतावडा कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री वेणा जी रावत, निवासी पलतावडा कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती गीता पुत्री वेणा जी रावत, निवासी पलतावडा कानोड़, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती वरदी बाई पुत्री रूपा जी रावत, निवासी मासिंगपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
10. पपु पिता गांगा जी रावत, निवासी आमलिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती मांगीबाई पुत्री गांगा जी रावत, निवासी आमलिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

12.श्रीमती डाली पुत्री गांगा जी रावत, निवासी आमलिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

13.श्रीमती अणछाई पुत्री गांगा जी रावत, निवासी आमलिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

14.श्रीमती हीरा पुत्री गांगा जी रावत, निवासी आमलिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

15.श्रीमती कालु पुत्री गांगा जी रावत, निवासी आमलिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

16.श्रीमती नारायणी पुत्री वेणा मानसिक रावत, निवासी उमरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

17.श्रीमती लोगरी पुत्री वेणा जी पत्नी खेमा जी रावत, निवासी साड़पर

18.छगन पिता वरदा जी, निवासी मासिंगपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

19.सुरेश पिता वरदा जी, निवासी मासिंगपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

20.डालचन्द पिता वरदा जी, निवासी मासिंगपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

21.गणेश पिता वरदा जी, निवासी मासिंगपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

22.श्रीमती नोका पुत्री परदा पत्नी पुरण रावत, निवासी भरडिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

23.नानुराम पिता एकलिंग जी रावत, निवासी मासिंगपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

24.भंवरसिंह पिता मनोहरसिंह जी राजपूत, निवासी ओनाड़सिंह की भागल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

25.मोहनसिंह पिता मनोहरसिंह जी राजपूत, निवासी ओनाड़सिंह की भागल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

26.चेनसिंह पिता मनोहरसिंह जी राजपूत, निवासी ओनाड़सिंह की भागल, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

27.राजस्थान जरिय तहसीलदार/उप पंजीयक, वल्लभनगर, जिला, उदयपुर

28.ओमप्रकाश पिता हरलाल जी मेनारिया, निवासी खरसाण, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 09.12.2015 प्र. सं. 239 / 11

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री नरेश जणवा अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री सुखलाल मेघवाल अभि. र. सं. 9, 11
3. श्री हुक्मीचन्द सांगावत अभि. रे. सं. 28
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

23–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया, जिसपर प्रतिवादी संख्या 28 ओमप्रकाश द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त उनवान के पक्षकार के मध्य उनकी पैत्रृक आराजियात का वाद आप न्यायालय से दिनांक 19–12–2012 को खारिज हो चुका है, जिसके मुकदमा नंबर 103 / 2007 हैं। ऐसी स्थिति में उक्त वाद बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन का जवाब वादिया द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि कृषि भूमि होने से आप न्यायालय का क्षेत्राधिकार है तथा मौरूसी सम्पत्ति में उसका जन्म से अधिकार है। प्रार्थी ओमप्रकाश अजनवी केता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 09–12–2015 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादिया का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–01–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 व 11 की ओर से वकील श्री सुखलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 28 की ओर से वकील श्री हुक्मीचन्द सांगावत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 27 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह बात भली भांति साबित थी कि पूर्व प्रकरण संख्या 103/2007 इस भूमि बाबत् नहीं था, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने वाद बार्ड बाई जॉ मानकर खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 28 के पक्ष में किया गया विक्रय धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध होकर नल एण्ड वोईड है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुए यह

माना है कि विवादित भूमियों में देवा का 1/2 हिस्सा था तथा देवा की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ है तथा उनके द्वारा भूमियों का रजिस्टर्ड विकय प्रतिवादी संख्या 28 ओमप्रकाश को किया जाकर केता के नाम नामान्तकरण स्वीकृत होकर वह 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय ने यह भी माना है कि रूपा जी की मृत्यु सन् 1975 से पूर्व हो चुकी है इस कारण उसकी चल–अचल सम्पत्ति वादिया में न्यायगमित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायलय ने अपने विवेचन में यह भी माना है कि पूर्व में इन्हों भूमियों से संबंधित वाद इन्हीं पक्षकारों के मध्य होकर खारिज हो चुका है ऐसो स्थिति में नया वाद बार्ड बाई लॉ होने से काबिल खारिज है। उपरोक्त आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी ओमप्रकाश का आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन स्वीकार कर वादिया का वाद इसी स्टेज पर खारिज कर दिया है, जिसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 09–12–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिकी पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 23–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

श्रीमती पेमली पुत्री रूपा जी पत्नी जी रावत,
हरजी, निवासी रामा का खेड़ा, त0 तह0
वल्लभनगर, जिला उदयपुर
व अन्य

बनाम

श्रीमती मथरी पत्नी देवा
निवासी चिरोला मासिंगपुरा,
वल्लभनगर, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....09 / 2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....वल्लभनगर..... मुकाम.....मुवर्खे.....09.....माह..... 12.....2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....23....माह.....07.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी..श्री नरेश जणवा..मिनजानिब अपीलान्ट व...श्री सुखलाल मेघवाल/हुक्मीचन्द सांगावत

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी दिनांक 09–12–2015 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....23.....माह.....07..... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।